

बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-04/2015 ।।

पटना, दिनांक- 12/7/17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं सीतामढ़ी।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें सत्र के सर्वेक्षण/क्षेत्रीय एवं परिचर्या प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु ₹449500/- (चार लाख उन्नचास हजार पाँच सौ रुपये) का आबंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-20-03 प्रशिक्षण व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 4 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं सीतामढ़ी होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि


11/7/17

की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
10. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1350 दिनांक 04.07.2017 एवं तत्संबंधि शुद्धि पत्र संख्या 1417 दिनांक 10.07.2017 के आलोक में रान्यास से संबंधित कर्मियों के वार्षिक एवं परिचर्या प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।


बजट सहायक प्रशाखा पदार्थ
12/03/17


सहायक निदेशक
12/03/17

विश्वासभाजन

निदेशक
12/03/17

ज्ञापांक- 11

दिनांक- 12/03/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 11


दिनांक- 12/03/17

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना
2. कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 11

दिनांक- 12/03/17

प्रतिलिपि:- 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (रान्यास) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कायलिय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कायलिय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।


निदेशक
12/03/17

आवंटन विवरणी

गुरुव्य शोर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शोर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	आवंटन कार्यालय क्षेत्र	13-01 प्रशिक्षण क्षेत्र	20-03 प्रशिक्षण क्षेत्र	किराया महसूल एवं कर	14-01 कुल योग
1	2	3	4	5		6
1	निदेशालय (मुख्यालय)	-		45000	-	45000
2	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी					
3	मुजफ्फरपुर		133600			133600
3	बैगुसराय		142900			142900
4	सीतामढ़ी		128000			128000
	कुल योग:-		449500			449500

(चार लाख उनचास हजार पाँच सौ) रुपये मात्र।

प्रशास्त्रा पदाधिकारी
सहायक निदेशक

बजट सहायक
कोटि १७/१८

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय